**FROM No.III**
**फर्द अहकाम**
**(नियम 26)**

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) जायल मुकाम

कानाराम बगैरा बनाम तारा्चंद बगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 271/19 सन् 2019

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 8.8-19 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/8/19 को पेश हो। <br> [signature] <br> सहायक कलक्टर (SDO) जायल | |
| 28/08/19 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनु०। पीठासीन अधिकारी डिग्री अवकाश पर होने से मिसल इत्तिला होकर आगामी दिनांक 16/10/19 को पेश हो। [initials] | |
| 16/10/19 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के | |

[signature] 16.10.2019

अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी खेतों के सेढ मेढ विपक्षीगणों के खेत आये हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मेढो पर जो पुरानी मेढ व डोले थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मेढो का सही ज्ञान नहीं हो रहा है तथा मेढो पर किसी प्रकार की कोई कच्ची पक्की मेढ या चिन्ह आदि नहीं होने से विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जा शुदा खेत का जबरदस्ती मेढ तोड़ देते हैं एवम् बरसात होने पर काश्त कर लेते हैं जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में अपने खेत का सीमाज्ञान करवाया गया परन्तु राजस्व रेकर्ड व कब्जे में भिन्नता पाया गया। इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की मेढबन्दी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मेढबन्दी आवेदन को स्वीकार किया जाकर मेढबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का मेढबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार [illegible] को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मेढबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। आदेश नकल से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
16.10.2019

# राजस्थान सरकार

## न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 778 दिनांकः— 16/10/19

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| कानराज पुत्र भंवरलाल जाति महाजन<br>निवासी बाटाडु | | ताराचन्द पुत्र छौगालाल वगैरा<br>निवासी बाटाडु |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956**

राजस्व आवेदन संख्या 271 / 2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा रामपुरा पटवार हल्का बाटाडु तहसिल बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1781 / 1554, 1715 / 1556 रकबा कमश 11.03, 15.11 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500 / — जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 773 -77 दिनांकः— 16/10/19

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमवन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री कानराज पुत्र भंवरलाल
4. विप्रार्थीगण ताराचन्द पुत्र छौगालाल वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु / गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.20 17:49:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: